



Neutral Citation Number-2026:AHC:31175

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5637/2026

राजकेशरी देवी

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: बच्चा सिंह

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या-2-तहसीलदार/नायब तहसीलदार, न्यायिक, तहसील-बलिया, सदर, जिला-बलिया को नामांतरण वाद संख्या-163/225 वर्ष 2007-2008, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-टी-2008159366 का शीघ्रता से फैसला करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप - नियम (7) के तहत दाखिल किया गया एक आवेदन काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना सही और उचित होगा, जिसमें कहा गया है कि ऐसा आवेदन दाखिल होने पर, संबंधित प्राधिकरण को कानून के मुताबिक समय पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7), के अंतर्गत उसका निपटारा करना उचित होगा।

"(7) तहसीलदार, नामांतरण के निर्विवाद मामलों का निपटारा मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और नामांतरण के विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करेंगे; और यदि इस अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के होते हुए भी, और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए तथा उसकी अपनी खूबियों के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर—करें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों की गुणदोष पर कोई राय नहीं दी है।

(माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”